तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ओगड़राम प्रजापति, यशबिला सर्वोदय नगर, रेलवे फाटक के पास, फुलाद मार्ग, सोजत रोड़, तहसील सोजत, जिला पाली 306103 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत प्रथम सूचना अपील संख्या :– 127/2022 जीसीएमएस नं. :– 2022/472 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	

–: निर्णय :–

29.05.2024

1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष उपस्थित।
2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 01.06.2022 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।
3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत ने जरिये पत्रांक/सू.अ./2022/688 दिनांक 23.09.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना चाहने बाबत् निवेदन किया। इस बाबत् सूचना के अधिकार अधिनियम धारा 11(1) के तहत सूचना के प्रकटन किया जावे या नहीं किया जाने बाबत् पत्रांक 850 दिनांक 20.07.2022 द्वारा व्यक्ति को कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया। जिस पर व्यक्ति ने कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर सूचना प्रदान नहीं करने बाबत् निवेदन किया। इस बाबत् कार्यालय के पत्रांक 856 दिनांक 26.07.2022 द्वारा अपीलार्थी को भी अवगत करवा दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।
4. हमने पत्रावली व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना किसी तृतीय पक्षकार की व्यक्तिगत सूचना होने से अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।
6. निर्णय आज दिनांक **29.05.2024** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एल.एन. मंत्री)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली